

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2019.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.”

The motion was adopted.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।